



प्रवेश विवरणिका

2018-19

कला

विज्ञान

वाणिज्य

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

एस० एस० जे० एन० (पी०जी०) कॉलेज, हरिद्वार

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से संबद्ध

प्रवेश विवरणिका आवेदन शुल्क सहित ₹ 200/-

Web. www.smjn.org

मेमोरी क्षमता बढ़ाने के तरीके बताए

एसएमजेएन

गोष्ठी

हरिद्वार | हमारे संवाददाता

एसएमजेएन कॉलेज के सभागार में शनिवार को इंडियन मेमोरी चैंपियन प्रतीक यादव ने छात्र-छात्राओं को करिअर बनाने की शिक्षा और अपनी मेमोरी की क्षमता बढ़ाए जाने के तरीके समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की।

प्रतीक यादव ने छात्र-छात्राओं से कहा कि अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना

- कॉलेज में पहुंचे इंडियन मेमोरी चैंपियन प्रतीक यादव
- कहा, उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं

ने बताया कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ अपने हुनर को कौशल विकास को निखारने की। छात्र-छात्राओं ने उनसे अपने प्रश्नों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त किया।

प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार बत्रा ने

एम.ए. अर्थशास्त्र की साहिबनाज व किरन बाला की सभी शिक्षण दिवसों में शत-प्रतिशत उपस्थिति

हरिद्वार: एस.एम.जे.एन. (पी.जी.) कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में एम.ए. व बी.ए. के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आयोजित विदाई कार्यक्रम में एम.ए. अर्थशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर की साहिबनाज एवं किरन बाला को विभाग के सभी शिक्षण दिवसों में शत-प्रतिशत उपस्थित रहने के लिए सम्मान विह व नकद पुरस्कार दिया गया।

शेष्ठ उपस्थिति के लिए एम.ए. द्वितीय सेमेस्टर की सुषु सजु, वी०ए० षष्ठम सेमेस्टर के रजत मिश्रा, राखी सिंह, वैशाती, विष्ट, प्रिया पाण्डेय, संदीप सैनी, वैशाती, पंजाब, वी०ए० चतुर्थ सेमेस्टर की कु. कालिन्दी चौधरी व वी०ए० द्वितीय सेमेस्टर की कु. मनीषा, कु. नीलम व कु. शिल्पा को भी सम्मान विह प्रदान कर

पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ० सुनील कुमार बत्रा, अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ० नरेन्द्र कुमार गर्ग, छात्र कल्याण अधिकाता डॉ० संजय कुमार महेश्वरी, विभाग प्रचारिका डॉ० अमिता शैवास्तव व यू० राशी शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को उनके मजबूत जीवन में सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। —तक न्यूजकैन



साहसिक खेलों में भी प्रतिभाग करेंगे कालेज के छात्र : सुनील बत्रा

एस.एम.जे.एन. वारियर्स ने ट्रॉफी पर किया कब्जा

हरिद्वार (विधान केसरी)। स्थानीय एस.एम.जे.एन. कॉलेज में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में एस.एम.जे.एन. सुपर किंग्स व

दिया। बॉलिंग करते हुए एस.एम.जे.एन. चन्द्रशेखर ने 04 और शुभम कुमार ने 03 विकेट लिये। बल्लेबाजी करते हुए वारियर्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित ओवरों

अंतर्गत साहसिक खेलों में प्रतिभाग करके विभिन्न विद्याओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उक्त के क्रम में जिला पर्यटन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा हमारे

हरिद्वार के एसएमजेएन कालेज में आयोजित प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले छात्र-छात्राएं सम्मानित

छात्रों ने रंगोली से दिया बेटी बचाने का संदेश

हरिद्वार | कर्मठ संवाददाता

एसएमजेएन कालेज में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 20 टीमें ने प्रतिभाग किया।

रंगोली प्रतियोगिता में शालू गिरि, राधिका, भावना राजपूत, प्रिया सहसन, शिखांगी सारदेवा, राशि कौशिक, देविशा पंचोली, पूष्पिका चौहान, शिल्पा मनकल, परिणिता पट्ट, तन्वी अंबवाल, मंजक तिवारी, सुषिता, सुनीषी खंड, विदित्त जोशी, रंजू टाकूर, रीतू सिंह, पूजा विद्यार्थी, राखी, पापल, रिश्वनी सैनी, अरती, विष्णुका, इशत शर्मा, विनिन चौधरी, शिवोम यादव, रीतिन जोशी, राजकिशोर, सौरभ, संतोष, केशव अरोड़ा, प्राची मुख, लकी सचदेव को सम्मानित किया गया।

छात्र-छात्राओं ने अपनी रंगोली के माध्यम से कई संदेश दिए। जिसमें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जलदियों को बचाने



शुक्रवार को हरिद्वार स्थित एसएमजेएन पीजी कॉलेज में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करती छात्राएं। • विद्वान

नेत्रदान, रंगोली से सजा नवचात मौर, कलर फुल एंड ड्राइंग स्वच्छ आदि आकर्षक का केन्द्र रहे। निर्णायक मंडल को धन्यवाद का निवेदन कर रहे कॉलेज

के पूर्व प्राचार्य प्रो. पीएस चौहान ने अपनी विजयी छात्र-छात्राओं को अपना आशीर्वाद देने हुए कहा कि प्राथमिकतापूर्ण रूप से सभी शैक्षणिक

गतिविधियां होती रहनी चाहिए, इनके बिना शिक्षा अधूरी है। प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार बत्रा ने सभी विजयी व प्रतिभागियों को धन्यवाद

प्रतियोगिता

- एसएमजेएन कालेज में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन
- प्रतियोगिता में लगभग बीस टीमें ने किय प्रतिभाग

शुभकामनाएं दी। कहा कि रंगोली केवल रंग नहीं, बल्कि अपने बात कहने का शक्ति माध्यम भी है। डॉ. सरस्वती पाठक, डॉ. संजय महेश्वरी, डॉ. जगदीश चन्द्र आर्य, विनय धरविशाल, डॉ. सुष्मा नवल, तेज कुमार प्रतियोगिता, दिव्यात शर्मा, कार्यालय अधीक्षक मोहन चन्द्र पाण्डेय ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छात्र संघ उपाध्यक्ष शिल्पा मनकल, सौमिका शर्मा, राघव अग्रवाल, हरश्रित सिंह, अंकित, हिमंशी, कविता मुख, रिश्वनी चौहान, सुरेश अहतर, अंकित शर्मा, मनीष मन्थल, वैभव कुमार, ललित सैनी शिक्षण कक्ष नियंत्रक बत्रा ने

गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए गोविंद घाट व अग्रसेन घाट पर सफाई अभियान चलाया

हरिद्वार: आज गंगा सतमी के अवसर पर मा गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक व्यापक जन जागरण का संदेश देने के लिए नगर की विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाएं जिन्होंने हरिद्वार नागरिक मंच, एस एम जे एन पी जी कॉलेज, मुस्कान फाउंडेशन, ई मैक, जल जीवन अभियान, राम राम जी योग फाउंडेशन पंडित मदनमोहन महामना, मातृवीय विचार मंच, पर्यावरण क्लोन एंड ग्रीन सोसाइटी, टॉर्क राइडिंग ग्रुप, एलाएन्स क्लब, अग्रसेन घाट वेल फेयर सांसायटी, गोविंद घाट समिति, मानवाधिकार समिति, गुडविल सांसायटी आदि संस्थाओं ने एक जुट होकर आज गंगा सतमी, 22 अंश उत्तरिदिश को धर्म नगरी हरिद्वार के गोविंद घाट एवं अग्रसेन घाट पर सफाई का क्रम एवं संकल्प दिवस के रूप में चलाया। इस अवसर पर सर्व प्रथम गोविंद घाट पर एक थैला का आयोजन किया गया। इसके पश्चात गंगा के दोनों पवित्र घाटों की सफाई का क्रम प्रारंभ किया गया।


कुमार जैन, जगदीश लाल पाहवा चंद्रमौन गंगा महोदय, नेहा मलिक, प्रदीप कुमार गर्ग, हेमा मण्डारी, सविता रावत, आशीष कुमार झा, आकाश कौशिक, सुरभि, गमन, रिती, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नवीत वसिष्ठा, कार्तिक गुप्ता, शिवांग चौहान, शिवम कुमार, कनक राजपूत, सगी, सौरभ, रंजना चतुर्वेदी, सुनीता झा उपसभा तंशवर, उज्वल बत्रा, मनीष कुमार शुक्ल, गौर गुरुर, अजय जोशी, शैलेश डबवाल हुमा खान, कुहरत खान सुहेल अखर, वैभव कुमार बत्रा, डॉ अजय पाठक, देवेन्द्र कुमार शर्मा, प्रो पी एस चौहान, सतीश कुमार जैन सतीष चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, कुलनूषण शर्मा, दुर्गा प्रताप सिंह, तप

शर्मा, सुभाष तंशर, हेमंत, करन शर्मा, दिव्याशु, डॉ विशाल गर्ग, जोगेन्द्र तंशर, राम बबू भंसाल, हरमोत इन्दोरिया आदि उपस्थित हुए। इस अवसर पर डॉ सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि इस अवसर पर उपस्थित सभी साधियों एवं श्रद्धालुओं को गंगा की पवित्रता, निर्मलता, अविस्तरता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए श्राध्द भी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि मां गंगा में किसी भी तरह की अनुपयोगी, दूषित, रसायनिक सामग्रियों का विस्र्जन ना तो करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। उन्होंने कहा कि गंगा है तो जीवन है तथा देश की आर्थिक एवं सामाजिक तानाबाना का आधार


मा गंगा ही है। गंगा यमुनी संस्कृति का पातन पोषण का भी यह अमूल्य आधार है। शान्ति कुंज हरिद्वार के संयुक्त तत्वामन में आयोजित इस कार्यक्रम में आराजित ब्रुशा खान ने सम्मिलित हो कर इस गंगा यमुनी संस्कृति को और अधिक प्रगाढ़ किया है। वहीं एस एम जे एन पी जी कॉलेज के छात्र सुहेल अखर ने गंगा घाटों की सफाई के लिए श्राद्ध आदि सामग्री उपलब्ध करा कर प्रशंसीय कार्य किया है। प्रदीप कुमार गर्ग ने इस अवसर पर जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इला धरा पर केवल तीन तीर्थनाथ ही पंयजत उपलब्ध है। —तक न्यूजकैन




कॉलेज प्रबन्धन



श्रद्धेय गुरू श्री निरंजनदेव जी
पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी



श्री महंत लखन गिरी जी
अध्यक्ष, कॉलेज प्रबन्ध समिति



श्री महंत रविन्द्र पुरी जी
सचिव, प्रबन्ध समिति



डॉ. सुनील कुमार बत्रा
प्राचार्य





एस.एम.जे.एन. (पी.जी.) कॉलेज


गोविन्दपुरी, हरिद्वार-249401 (उत्तराखण्ड)
सम्बद्ध-हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
श्रीनगर (गढ़वाल)

श्री महन्त रविन्द्र पुरी

सचिव, कॉलेज प्रबन्ध समिति
फैक्स-01334-226032

Website:www.smjn.org

E-mail:smjncollege@gmail.com



सन्देश

एस.एम.जे.एन. (पी.जी.) कॉलेज उन शिक्षण संस्थानों में से एक है जिसे यहाँ की ख्याति प्राप्त धार्मिक संस्था श्रवण नाथ मठ के संतों और मनीषियों ने पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सक्रिय सहयोग से सन् 1961 ई. में स्थापित किया था। हमारा महाविद्यालय जनपद हरिद्वार का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा महाविद्यालय है। यह शासकीय सहायता प्राप्त एक ऐसा महाविद्यालय है जो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के तत्वाधान में प्रसिद्ध धार्मिक संस्था श्री श्रवणनाथ मठ द्वारा संचालित किया जाता है। इस शिक्षण संस्थान में नगर के तथा आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्रायें शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यह एक सह-शिक्षण संस्थान होने के कारण नारी शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। वास्तव में यह महाविद्यालय पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी तथा श्री श्रवणनाथ मठ के संतों की साधना का एक आशीर्वाद है।

प्राध्यापक मण्डल में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों की व्यवस्था है। प्राचार्य सहित सभी प्राध्यापक-प्राध्यापिकाएं शिक्षा के वांछनीय स्तर को बनाये रखने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहते हैं। कार्यालय कर्मचारी वर्ग भी विद्यार्थियों को हर प्रकार की सहायता व सहयोग देने को तत्पर रहता है।

मैं इस नवीन सत्र में सभी छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

श्री महन्त रविन्द्र पुरी

सचिव, कॉलेज प्रबन्ध समिति



एस.एम.जे.एन. (पी.जी.) कॉलेज

गोविन्दपुरी, हरिद्वार-249401 (उत्तराखण्ड)

सम्बद्ध-हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
श्रीनगर (गढ़वाल)

डॉ. सुनील कुमार बत्रा
प्राचार्य

फोन- 01334-226032
फैक्स-01334-226032



प्राचार्य की कलम से.....

निरंजनी अखाड़ा श्री पंचायती के पूज्य संतों एवं श्री महन्त लखन गिरि जी महाराज, अध्यक्ष, कॉलेज प्रबन्ध समिति, श्री महन्त रविन्द्रपुरी जी महाराज, सचिव, कॉलेज प्रबन्ध समिति के संरक्षण व आशीर्वाद से जनपद के सबसे अग्रणी महाविद्यालय के रूप में एस.एम.जे.एन. (पी.जी.) कॉलेज, हरिद्वार विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से तथा अन्य गुणात्मक दृष्टिकोण से निरन्तर विकासोन्मुख है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित इस महाविद्यालय के अन्तर्गत सह-शिक्षण की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ अनुशासन और व्यवस्था का सम्यक बोध भी विद्यार्थियों को कराया जाता है। महाविद्यालय में प्रवेश बिना किसी भेदभाव के केवल मैरिट के आधार पर ही दिया जाता है। महाविद्यालय का परीक्षाफल विश्वविद्यालय में सदैव ही उत्तम रहा है एवं कॉलेज के मेधावी छात्र-छात्राये विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। छात्र-छात्राये यहाँ के शांत वातावरण में तल्लीनता व मनोयोग के साथ अपनी अध्ययन क्षमता को विकसित करके शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा शिक्षणेत्तर गतिविधियों के माध्यम से अपनी रुचि विकसित करके विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। विभिन्न गतिविधियों में छात्र कल्याण परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर विचारगोष्ठी, व्याख्यानमाला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है जिसके माध्यम से नगर के बुद्धिजीवियों, गणमान्य नागरिकों एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को भी विद्वान् वक्ताओं के विचार सुनने का सुअवसर मिलता है।

विगत सत्र में महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस हेतु बधाई के पात्र हैं जिनके सहयोग से महाविद्यालय ने यह उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले सत्र में भी महाविद्यालय निरन्तर नई ऊँचाईयों की ओर अग्रसर होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि के विषयों में वांछित व उच्चस्तरीय शिक्षा मिले, यही महाविद्यालय का संकल्प है।

डॉ. सुनील कुमार बत्रा
प्राचार्य

Dr. S.K. Maheshwari
Dean, Student Welfare



S.M.J.N. (P.G.) College
Govindpuri, Haridwar (249401)



सन्देश

प्रिय छात्र-छात्राओं,

एस.एम.जे.एन.(पी.जी.) कॉलेज, हरिद्वार सत्र 2018-19 में आपका स्वागत करता है। जब आप महाविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो आपके मन में कुछ बनने की, कुछ करने की ललक होती है। आपकी ये भावनायें, परिवार, कॉलेज, समाज और देश के लिए श्रेष्ठकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आतुर होती हैं।

पूज्य संतों एवं मनीषियों का यह महाविद्यालय आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक श्रेष्ठ वातावरण उपलब्ध कराता है। पूज्य संतों द्वारा सिंचित कॉलेज इस बात का द्योतक है कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में राजनेता, प्रशासक, संगीतज्ञ, सी.ए. एवं सामाजिक कार्यकर्ता इस ज्ञान, कर्मभूमि से निकलकर अपनी सुगन्ध हरिद्वार एवं देश-विदेश में फैला रहे हैं।

छात्र कल्याण परिषद भी आपके लिए वर्षभर मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता को निखारने वाले कार्यक्रम आयोजित करता है। आप इसमें प्रतिभाग करके अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। आप सभी को श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं।

डॉ. संजय माहेश्वरी
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Dr. Saraswati Pathak

**Chief Procter
Chairperson, Women Cell**



S.M.J.N. (P.G.) College

Hardwar-249401



सन्देश

प्रिय छात्र-छात्राओं,

आप सभी को नवीन सत्र 2018-19 की हार्दिक शुभकामनायें, इस सत्र में आप जनपद के सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे हैं। एस.एम.जे.एन.(पी.जी.) कॉलेज, हरिद्वार एक अनुशासित तथा सुव्यवस्थित कॉलेज के रूप में ख्याति प्राप्त है। परिसर में छात्र-छात्राओं को निर्धारित वेशभूषा में आना आवश्यक किया गया है तथा छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं सहभागिता हेतु छात्र कल्याण परिषद कार्य करती है। जनपद के सबसे बड़े महाविद्यालय ने प्रगति के नये आयाम प्रस्तुत किये हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है कि महाविद्यालय की मातृ संस्था पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के पूज्य संतों एवं कॉलेज प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष महन्त श्री लखन गिरि जी महाराज, कॉलेज प्रबन्ध समिति के सचिव, महन्त श्री रविन्द्र पुरी जी महाराज के नेतृत्व में महाविद्यालय में अध्ययन एवं शोध के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाना सम्भव हो सका है।

अनुशासन छात्र जीवन की महत्ती आवश्यकता है, इस तथ्य का सम्यक् बोध भी छात्रों को कराया जाता है। वर्ष भर अध्ययन-अध्यापन का माहौल रहने के कारण ही परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग प्रायः नगण्य है। अतः इस आधार पर अनुशासन और व्यवस्था की दृष्टि से निःसंकोच यह एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित है, जहाँ छात्रों का प्रवेश बिना किसी भेदभाव के केवल मैरिट के आधार पर ही दिया जाता है।

भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है। आप अपनी शिकायत को लिखित निर्धारित पेटिका में डाल सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जायेगा, आपके उत्पीड़न को रोकना हमारा परम् कर्तव्य है जिससे आप महाविद्यालय में सुरक्षित एवं आत्मविश्वास से पूर्ण होकर अपनी शैक्षणिक योग्यता को निरन्तर बढ़ाते रहें। महाविद्यालय परिवार 'शून्य महिला उत्पीड़न' उद्देश्य को हमेशा अपने समक्ष रखता है।

डॉ. सरस्वती पाठक

मुख्य अनुशासन अधिकारी

एवं चैयरपर्सन,

महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ



जो विद्या-अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या (भौतिक ज्ञान) से मृत्युलोक को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। कर्म से जीवन में उपासना आ जाती है और उपासना से ही अमृत तत्त्व की प्राप्ति होती है। यह उपासना ही विद्या है। संभवतः इसीलिए हमारे तपोनिष्ठ ऋषि और आचार्य विद्या को उपासना का पर्याय मानकर उसकी साधना में रत रहकर उसके सम्यक् प्रसार में सदैव संलग्न रहे। कालांतर में आश्रम व्यवस्था बदली, शिक्षा के उपकरण भी बदले, किंतु समाज के अभ्युदय की कामना रखने वाले संतों की प्रवृत्ति अपरिवर्तित रही, उनकी मानवतावादी दृष्टि व लोकमंगल की भावना पहले जैसी ही रही। यही कारण है कि पूर्वकाल की भाँति स्वातंत्र्योत्तर युग में भी उच्चस्तरीय अध्ययन-अध्यापन के अनेक केंद्र विद्यानुरागी इन संत-महात्माओं द्वारा स्थापित किए गए। हमारा एस०एम०जे०एन० (पी०जी०) कॉलेज भी एतद्विषयक शिक्षण संस्थानों में से एक है, जिसे यहाँ की ख्याति प्राप्त धार्मिक संस्था श्रवणनाथ मठ के संतों और मनीषियों ने तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सक्रिय सहयोग से सन् 1961 ई० में स्थापित किया था। उस समय इसका नाम जय भारत साधु महाविद्यालय रखा गया, किंतु सन् 1962 ई० में इसका परिवर्तित नाम “श्री श्रवणनाथ मठ जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज हरिद्वार” कर दिया गया।

यह उल्लेखनीय है कि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के उदारमना तथा विद्यानुरागी संतों की प्रेरणा और उन्हीं के संरक्षण में यह संस्था तभी से निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। संप्रति यहाँ तीनों संकाय-कला, वाणिज्य और विज्ञान के अंतर्गत विविध विषयों में उच्चस्तरीय अध्ययन-अध्यापन का कार्य सुचारु रूप से हो रहा है। रोजगारोन्मुख शिक्षा की उपयोगिता के दृष्टिकोण से यहाँ व्यावसायिक पाठ्यक्रम-पी०जी० डिप्लोमा (जर्नलिज्म एंड मॉस कम्युनिकेशन एवं कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन) भी व्यवस्थित ढंग से चलाए जा रहे हैं।

विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से तथा अन्य गुणात्मक दृष्टिकोण से कॉलेज सतत विकासोन्मुख है। कॉलेज का परीक्षाफल विश्वविद्यालय में सदैव ही उत्तम रहा है। छात्र-छात्राएँ यहाँ के शांत वातावरण में तल्लीनता व मनोयोग के साथ अपनी अध्ययन क्षमता को विकसित करके सम्मानजनक अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करते रहे हैं। शिक्षणोत्तर गतिविधियों के माध्यम से अपनी रुचि विकसित करके विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर तद्विषयक विशिष्टता प्राप्त करने की सफल चेष्टा भी करते हैं।

अनुशासन छात्र जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, इस तथ्य का सम्यक् बोध भी छात्रों को कराया जाता है। वर्ष भर अध्ययन-अध्यापन का माहौल रहने के कारण ही परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग प्रायः दिखाई नहीं पड़ता है। अस्तु, अनुशासन और व्यवस्था की दृष्टि से निःसंकोच यह एक आदर्श महाविद्यालय कहा जा सकता है जहाँ छात्रों का प्रवेश बिना किसी भेदभाव के केवल मेरिट के आधार पर ही किया जाता है।

प्राध्यापक-मंडल में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों की व्यवस्था है। सभी आचार्य शिक्षा के वांछनीय स्तर को बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। कर्मचारी वर्ग भी विद्यार्थियों को हर प्रकार की सहायता एवं सहयोग देने को तत्पर रहता है। कॉलेज परिसर में छात्रों की अध्ययन निष्ठा को गतिशील बनाए रखने के लिए एक भव्य पुस्तकालय है जहाँ विभिन्न विषयों की लगभग 40,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। छात्रों को सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से पुस्तकालय में अनेक उच्चस्तरीय पत्र-पत्रिकाएँ भी मंगवाई जाती हैं। छात्रों के लिए वाचनालय की भी व्यवस्था है, जहाँ वे उनका अवलोकन करके अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि के विषयों में वांछित व उच्चस्तरीय शिक्षा मिले, यही हमारा पावन संकल्प है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् बैंगलोर द्वारा मार्च 2004 में महाविद्यालय का मूल्यांकन कर महाविद्यालय को बी श्रेणी प्रदान की गई। इन पाठ्यक्रमों को सफल बनाने के लिए तथा अपने महाविद्यालय को उत्तराखंड शासन द्वारा विशिष्ट महाविद्यालय का दर्जा दिलाने हेतु सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारी वर्ग निरंतर प्रयासरत हैं। अतः विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं प्राध्यापकों को नाम के अनुरूप पूर्ण मनोयोग से और अधिक गुणवत्ता युक्त बनना होगा। आशा है हम सभी वर्तमान सत्र में अनेक क्षेत्रों में अधिक गतिशील, चिंतनशील एवं अध्ययनशील होंगे।

**Whoever understands meditation and karma as going together,
(he) overcoming death through karma, attains immortality through meditation.**

-ISAVASYOPANISHAD-11

He, who knows *meditation* and *karma* together, overcoming *death* through *karma* attains *immortality* through *meditation*. The worship comes in life through *Karma* and *immortality* is attained in life only by *Worship*. This worship is *meditation*. Perhaps, that is why our ascetic Sage and Acharya were engaged in their *sadhana* as an alternative to worship, and also engaged in the propagation of it. As time passes away, Ashram system was changed, so the tools of education too. However, the tendency of these Saints who wished for the advancement of society remained unchanged; their humanistic vision and the feeling of *public welfare* remained the same. It is for this reason that like in the past, many centers of teaching have been established by these Saints-Mahatmas. Our **S.M.J.N.(P.G.) College** is also one of the educational institutions that was established at Haridwar by the saints and learned persons of well-known religious institution **Shri Shraavan Nath Math** with active cooperation of **Panchayati Akhara Shri Niranjani** in the year 1961. Initially, the college was named as **Jai Bharat Sadhu Mahavidyalaya**. In the year 1962, it was renamed as **Shri Shraavan Nath Math Jawaharlal Nehru Degree College**, now popularly known as **S.M.J.N. (P.G.) College**.

It is worth mentioning here that this institution has been continuously moving on the path of development with the inspiration and patronage of scholarly and liberal Saints of **Panchayati Akhara Shri Niranjani**. At present, high-level teaching-learning in many subjects of three streams (Arts, Commerce and Science) has been conducting smoothly. To provide greater opportunities of better applied education and employment to students, an MOU (*Memorandum of understanding*) has also been signed by College Management Committee with **Sidcul** Manufacturers Association Uttarakhand in Haridwar.

From the point view of number of students and other qualitative parameters, the college is growth-oriented. The results in examination have remained excellent for years in the university. The students have shown outstanding performance in the university exams by developing their learning skills with their consistent efforts under the guidance of the learned teaching faculty in the peaceful ambience of the college. They also aim to succeed and achieve new heights in various fields through participation in various competitions at University level.

Students are educated to realize the fact that discipline is the essential requirement of their life. The use of unfair means in examinations is not often seen due to a congenial learning environment of the college throughout the year. Our college is an ideal institution from the point of view of discipline and system where admission of students is done on the basis of merit without any discrimination.

There are qualified and experienced teachers in the staff. All teachers do their efforts to maintain the desirable standard of education. Staff members provide help and support to the students. There is a rich library in the college premises to support and enhance the knowledge and competitive abilities of the students to keep pace with the time and more than 44000 books of different subjects are available in it. In order to give general information to students, many high-level newspapers and magazines are also subscribed in the library. There is arrangement of a reading room also where they can enhance their general knowledge. Our pious determination is to provide desirable and higher education to each student according to his/her interest.

In March 2004, the National Assessment and Accreditation Council awarded "**B**" grade to the college. All professors and staff members are constantly trying to make these courses a success and to get the status of a special college by Uttarakhand government. Therefore, students, employees and professors will have to become more qualitative with full respect according to the name. Hope we all will be more dynamic, reflective and studious in many areas in the current session.



महाविद्यालय-परिवार

अध्यक्ष, कॉलेज प्रबन्ध समिति
सचिव, कॉलेज प्रबन्ध समिति
प्राचार्य

- श्री महन्त लखन गिरी
- श्री महन्त रविन्द्र पुरी
- डॉ० सुनील कुमार बत्रा

प्राध्यापक-मंडल*

कला संकाय

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ० नरेश कुमार गर्ग
2. रिक्त

एम०ए०, एम० फिल०, पी-एच०डी०

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
असिस्टेंट प्रोफेसर

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) नलिनी जैन
2. रिक्त

एम०ए०, एम०फिल०, पी-एच०डी०

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
असिस्टेंट प्रोफेसर

इतिहास विभाग

1. डॉ० संजय कुमार माहेश्वरी

एम०ए०, एल-एल०बी० एम०फिल०, पी-एच०डी०

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

राजशास्त्र विभाग

1. श्री विनय थपलियाल
2. रिक्त

एम०ए० (राजशास्त्र)

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

संस्कृत विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) सरस्वती पाठक

एम०ए०, पी-एच०डी०

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

समाजशास्त्र विभाग

1. डॉ० जगदीश चंद्र आर्य
2. डॉ० सुषमा नयाल, एम०ए०

एम०ए०, पी-एच०डी०
पी-एच०डी०

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
असिस्टेंट प्रोफेसर

हिन्दी विभाग

1. रिक्त
2. रिक्त

असिस्टेंट प्रोफेसर
असिस्टेंट प्रोफेसर

वाणिज्य संकाय

1. डॉ० सुनील कुमार बत्रा
2. डॉ० मनमोहन गुप्ता
3. डॉ० तेजवीर सिंह तोमर
4. रिक्त

एम०कॉम०, एम०ए० (अर्थशास्त्र), डी० फिल०
एम०कॉम०, एम०ए० (अर्थशास्त्र), डी० फिल०
एम०कॉम०, एम०ए० (अर्थशास्त्र), पी०-एच०डी०

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
एसोसिएट प्रोफेसर
एसोसिएट प्रोफेसर

विज्ञान संकाय

गणित/ रसायन विज्ञान/ भौतिक विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान / जंतु विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइंस

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

पी०जी०डी०सी०ए० / पी०जी०डी०जे०एम०सी०

उपरोक्त सभी में शिक्षक संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं।

*यह सूची विभागानुसार है न कि वरिष्ठता क्रम में।



शिक्षणेतर कर्मचारीगण

कार्यालय-

1. श्री मोहन चन्द पांडेय - कार्यालय अधीक्षक
2. श्री वेद प्रकाश चौहान - स्टेनोग्राफर
3. रिक्त - सहायक लेखाकार
4. श्रीमती हेमवती - लिपिक
5. श्री संजीत कुमार - लिपिक
6. रिक्त - लिपिक
7. रिक्त - लिपिक
8. रिक्त - माली
9. रिक्त - परिचर
10. श्री घनश्याम सिंह - परिचर
11. रिक्त - परिचर

पुस्तकालय-

1. रिक्त - पुस्तकालय अध्यक्ष
2. श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल - पुस्तकालय लिपिक
3. श्री राजकुमार - पुस्तकालय लिपिक
4. श्री अशोक कुमार - पुस्तकालय लिपिक
5. रिक्त - बुक बाइंडर
6. श्री कैलाश चन्द्र जोशी - परिचर
7. श्री कुंवर पाल सिंह - परिचर
8. श्री ओमी चन्द - परिचर



महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. महाविद्यालय प्रवेश फार्म एवं विवरण पत्रिका का वितरण व प्रवेश पंजीकरण प्रारम्भ - 11-06-2018
2. पंजीकरण की अन्तिम तिथि - 30-06-2018
3. योग्यता एवं प्रतीक्षा सूची का महाविद्यालय सूचनापट एवं कॉलेज वेबसाइट पर प्रकाशन - 11-07-2018
4. योग्यता सूची से अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रारम्भ - 16-07-2018
- प्रवेश हेतु साक्षात्कार का समय - प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
5. प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का प्रवेश - 23-07-2018
6. कक्षा आरम्भ - 20-07-2018
- प्रवेश फार्म की उपलब्धता कॉलेज वेबसाइट पर - 11-06-2018

छात्र/छात्रा अपना शुल्क ऑन लाइन यूको स्मार्ट पेय के माध्यम से कॉलेज के खाते में जमा करेंगे।

महाविद्यालय कैम्पस वाई-फाई (WiFi) सुविधा से आच्छादित है।

नोट- अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन संभव है।

नोट : प्रवेश के समय अभ्यर्थी अनिवार्यतः स्वयं एवं अपने अभिभावक के साथ उपस्थित हो तथा अपने साथ सभी मूल प्रमाण-पत्र तथा उनकी सत्यापित प्रतियां साथ लायें। इसके लिये कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। छात्र/छात्रायें जिस वर्ग (जाति-प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार होगा। खेलकूद प्रमाण-पत्र, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर एवं एन.एस.एस./एन.सी.सी.) का लाभ लेना चाहते हैं, उसके प्रमाण-पत्र की प्रमाणित कॉपी, रजिस्ट्रेशन फार्म के साथ संलग्न करें।

अन्य जानकारी हेतु कॉलेज की वेबसाइट www.smjn.org का अवलोकन कर सकते हैं।

प्रवेशार्थी विवरणिका



उपलब्ध पाठ्यक्रम व न्यूनतम प्रवेश योग्यता एवं उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.सं. कक्षा (वर्ष)	विषय	न्यूनतम प्रवेश योग्यता	अनुमोदित सीट
1. एम०ए० (प्रथम सेमेस्टर)	अर्थशास्त्र	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	60
2. एम०ए० (प्रथम सेमेस्टर)	अंग्रेजी	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	60
*3. एम०ए० (प्रथम सेमेस्टर)**	हिन्दी	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	60
*4. एम०ए० (प्रथम सेमेस्टर)**	राजनीतिशास्त्र	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	60
*5. एम०ए० (प्रथम सेमेस्टर)**	समाजशास्त्र	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	60
*6. एम०कॉम० (प्रथम सेमेस्टर)**	वाणिज्य	बी०कॉम० अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	80
7. बी०ए० प्रथम सेमेस्टर	अर्थशास्त्र, अंग्रेजी हिन्दी, इतिहास राजनीति शास्त्र, संस्कृत समाज शास्त्र, संगीत*	इंटरमीडिएट अथवा गढ़वाल केन्द्रीय वि०वि० द्वारा स्वीकृत समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	260
8. बी०कॉम० प्रथम सेमेस्टर	(समस्त विषय समूह)	इंटरमीडिएट अथवा गढ़वाल केन्द्रीय वि०वि० द्वारा स्वीकृत समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	120
*9. बी०कॉम० स्ववित्त पोषित प्रथम (सेमेस्टर)**	(समस्त विषय समूह)	इंटरमीडिएट अथवा गढ़वाल केन्द्रीय वि०वि० द्वारा स्वीकृत समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	180
*10. बी०एस-सी० (प्रथम सेमेस्टर)** स्ववित्त पोषित	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित	संबंधित विषयों सहित इंटरमीडिएट या गढ़वाल केन्द्रीय वि०वि० द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	60
*11. बी०एस-सी० (प्रथम सेमेस्टर)** स्ववित्त पोषित	रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान	सम्बन्धित विषयों सहित इंटरमीडिएट या गढ़वाल केन्द्रीय वि०वि० द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	40
12. बी०एस-सी० (प्रथम सेमेस्टर)** स्ववित्त पोषित	भौतिक विज्ञान, गणित एवं कम्प्यूटर साईंस	वि०वि० से सम्बद्धता हेतु विचाराधीन	40
*13. एम०ए०/एम०कॉम० (तृतीय सेमेस्टर)		क्रमशः एम०ए०/एम०कॉम० (द्वितीय सेमेस्टर) की परीक्षा उत्तीर्ण	
*14. बी०ए०/बी०कॉम०/बी०एस-सी० तृतीय सेमेस्टर		बी०ए०/बी०कॉम०/बी०एस-सी० द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण	
15. बी०ए०/बी०कॉम०/बी०एस-सी० (पंचम सेमेस्टर)		क्रमशः बी०ए०/बी०कॉम०/बी०एस-सी० की चतुर्थ सेमेस्टर की	

वर्तमान सत्र से समस्त पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली के परीक्षा उत्तीर्ण आधार पर ही चलेगें।

विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 में बी.ए./ बी. कॉम/ बी.एस-सी. में तथा एम.ए./एम.कॉम. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर किये जायेंगे।

*यह सभी पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योजनांतर्गत संचालित किए जा रहे हैं।

**सत्र 2018-19 के लिए उक्त पाठ्यक्रमों की संबद्धता विस्तारण प्रत्याशित है।

***हे. न. ब. गढ़वाल वि.वि. द्वारा सेमेस्टर प्रणाली में बनाए गये सभी नियम कॉलेज पर भी लागू होंगे।



Semester system and Choice Based Credit System (CBCS) with Semester for Under Graduate Students

B.A. Programme

The following scheme will be implemented for B.A. Students

Semester	Core Compulsory (CC)	Ability Enhancement Compulsory Course (AECC)	Skill Enhancement Elective Course (SEC)	Discipline Specific Core Course (DSCC)	Generic Elective (GE)
I	English Language-1	Environmental Science (AECC-1)		Subject 1 Core Paper 1 Subject 2 Core Paper 1	
II	Hindi/ Sanskrit Language /MIL-1	English/Hindi/Sanskrit MIL Communication (AECC-2)		Subject 1 Core Paper II Subject 2 Core Paper II	
III	English Language-II		Skill Based-1	Subject 1 Core Paper III Subject 2 Core Paper III	
IV	Hindi/ Sanskrit Language /MIL-II		Skill Based-II	Subject 1 Core Paper IV Subject 2 Core Paper IV	
V			Skill Based-III	Subject 1 Core Paper V Subject 2 Core Paper V	GE-1 Paper I
VI			Skill Based-IV	Subject 1 Core Paper VI Subject 2 Core Paper VI	GE-2 Paper-II

B.Sc. Programme

The following scheme will be implemented for B.Sc. Students

Semester	Discipline Specific Core Course (DSCC)	Ability Enhancement Compulsory Course (AECC)	Skill Enhancement Elective Course (SEC)	Discipline Specific Elective (DSE)
I	Subject I, Core paper-I	English/Hindi/Sanskrit MIL Communication (AECC-1)		
	Subject II, Core paper-I			
	Subject III, Core paper-I			
II	Subject I, Core paper-II	Environmental Science (AECC-2)		
	Subject II, Core paper-II			
	Subject III, Core paper-III			
III	Subject I, Core paper-III		Skill Based - I	
	Subject II, Core paper-III			
	Subject III, Core paper-III			
IV	Subject I, Core paper-IV		Skill Based - II	
	Subject II, Core paper-IV			
	Subject III, Core paper-IV			
V			Skill Based - III	Subject I, Elective Paper-I
				Subject II, Elective Paper-I
				Subject III, Elective Paper-I
VI			Skill Based - IV	Subject I, Elective Paper-I Subject II, Elective Paper-I Subject III, Elective Paper-I



B.Com Programme

The following scheme will be implemented for B.Com. Students

Sem.	S.No	Course Code	Course Name	Course Structure	Periods			Credits
					L	T	P	
B.Com. Sem. I	1	BC-101	Environmental Studies	Ability-Enhancement Compulsory Course (AECC)-1	4	0	0	4
	2	BC-102	Financial Accounting	Core Course C-1	4	1	1	6
	3	BC-103	Business Organisation and Management	Core Course C-2	5	1	0	6
	4	BC-104	English Language	Language-1	5	1	0	6
B.Com. Sem. II	1	BC-201	Language: English/Hindi/ Sanskrit/ Modern Indian Language	Ability-Enhancement Compulsory Course (AECC)-2	4	0	0	4
	2	BC-202	Business Law	Core Course C-3	5	1	0	6
	3	BC-203	Business Statistics	Core Course C-4	5	1	0	6
	4	BC-204	Hindi/Sanskrit/Modern Indian Languages	Language-2	5	1	0	6
B.Com. Sem. III	1	BC-301	Company Law	Core Course C-5	5	1	0	6
	2	BC-302	Income Tax Law and Practice	Core Course C-6	4	1	1	6
	3	BC-303	Hindi/ Sanskrit/Modern Indian Languages	Language-3	5	1	0	6
	4	BC-304	Computer Applications in Business	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-1(a)	2	0	0	2
			Practical	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-1(b)	0	0	2	2
B.Com. Sem. IV	1	BC-401	Business Communication	Language-4	5	1	0	6
	2	BC-402	Corporate Accounting	Core Course C-7	5	1	0	6
	3	BC-403	Cost Accounting	Core Course C-8	5	1	0	6
	4	BC-404	E-Commerce	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-2(a)	3	0	0	3
			Practical	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-2(b)	0	0	1	1
B.Com. Sem. V	1	BC-501	Any one of the following a. Human Resource Management b. Principles of Marketing	Discipline -Specific Elective (DSE)-1	5	1	0	6
			c (i) Computerised Accounting System		4	0	0	4
			c (ii) Practical		0	0	2	2
	2	BC-502	Any one of the following a. Fundamentals of Financial Management b. Indirect Tax Law	Discipline- Specific Elective (DSE)-2	5	1	0	6
	3	BC-503	Principles of Micro Economics	Generic Elective (GE)-1	5	1	0	6
4	BC-504	Entrepreneurship	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-3	4	0	0	4	
B.Com. Sem. VI	1	BC-601	Any one of the following a. Corporate Tax Planning b. Banking and Insurance c. Fundamentals of Investment d. Auditing and Corporate Governance	Discipline -Specific Elective (DSE)-3	5	1	0	6
	2	BC-602	Any one of the following a. International Business b. Office Management and Secretarial Practice c. Management Accounting d. Consumer Protection	Discipline -Specific Elective (DSE)-4	5	1	0	6
	3	BC-603	Indian Economy	Generic Elective (GE)-2	5	1	0	6
	4	BC-604	Seminar and Comprehensive Viva-Voce	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-4	0	0	0	4



प्रवेश सम्बन्धी नियम सत्र 2018-19



1. प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर किया जाएगा। कला एवं वाणिज्य में स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ 39.90% को भी 40% नहीं माना जाएगा। बी०एस-सी० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्नातक या समकक्ष परीक्षा में वि.वि. द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक/ग्रेड ही मान्य होंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5% अंकों की छूट होगी।
2. प्रवेश में आरक्षण शासन द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधानों के अंतर्गत दिया जायेगा।
3. बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु व्यावसायिक वर्ग से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्रा की मेरिट का आकलन उसके प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों को छोड़कर केवल थ्योरी में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा।
4. पहले से ही किसी विषय में स्नातकोत्तरीय उपाधि प्राप्त विद्यार्थी को किसी अन्य विषय में एम०ए०/एम०कॉम० सेमेस्टर प्रणाली में अन्तर्गत संस्थागत प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
5. अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्रापर भूतपूर्व छात्र के रूप में केवल परीक्षा में वि. वि. नियमानुसार सम्मिलित हो सकते हैं। ड्रापर से तात्पर्य है कि छात्र ने विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात् पूरे सत्र अध्ययन किया हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।
6. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छह (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (4) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा होगी जिसमें एक वर्ष का गैप वर्ष भी सम्मिलित रहेगा।
7. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात् प्रवेश नहीं मिलेगा। गैप वर्ष के साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिससे यह स्पष्ट हो कि इस गैप के दौरान उसने संस्थागत छात्र के रूप में कहीं भी अध्ययन नहीं किया है। यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात् किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को गैप नहीं माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भी स्नातक छह: वर्ष अथवा स्नातकोत्तर चार वर्षों में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा।
8. प्रवेश केवल रिक्त स्थान रहने तक ही दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश करने के लिए कॉलेज बाध्य नहीं होगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अंतिम तिथि 23-07-2018 होगी।
9. बी०ए० (प्रथम सेमेस्टर) के प्रवेशार्थियों के योग्यता सूची में आने पर भी उनके द्वारा चयनित विषयों में प्रवेश केवल तभी दिया जाएगा जब तक उन विषयों में स्थान रिक्त हों। चयनित विषयों में स्थान उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेशार्थियों को प्रवेश हेतु उस विषय का चयन करना होगा जिसमें स्थान उपलब्ध हों।
10. प्रवेश के समय छात्र द्वारा लिए गए विषयों को सत्र के मध्य परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।
11. निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रवेश हेतु उपस्थित न होने या निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा कराने पर प्रवेशार्थी अपना प्रवेश का अधिकार खो देगा तथा उसके स्थान पर दूसरे योग्य अभ्यर्थी का प्रवेश मेरिट के आधार पर कर दिया जाएगा।
12. कॉलेज के प्राचार्य को यह अधिकार है कि कॉलेज के अनुशासन और व्यवस्था के दृष्टिकोण से किसी भी विद्यार्थी को बिना कारण बताए प्रवेश देने से मना कर दे।
13. किसी ऐसे विद्यार्थी को भी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो कॉलेज की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए या प्रयोग का प्रयत्न करते हुए पकड़ा गया हो अथवा जिसके विरुद्ध परीक्षा में दुर्व्यवहार का प्रतिवेदन लिखा गया हो।
14. पुलिस के अभिलेख में अपराधियों की सूची में शामिल अथवा चरित्र-हीनता के कारण न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों या फौजदारी के अभियुक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
15. हिंसक व्यवहार या दुर्व्यवहार, रैगिंग या कॉलेज स्टाफ के प्रति अभद्र व्यवहार करने के दोषी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा अथवा प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।



16. कॉलेज/हे.न.ब. गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश संबंधी नियमावली के अंतर्गत ही प्रवेश किए जाएंगे। यदि इन प्रवेश संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है तो ऐसा प्रवेश विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन द्वारा स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा।
17. किसी भी छात्र-छात्रा को अगली कक्षा में तभी प्रवेश दिया जा सकेगा, जबकि उसके द्वारा पूर्व सेमेस्टर में उस पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्रेडिट अंकों को अर्जित कर लिया गया हो।
18. किसी भी छात्र-छात्रा को सत्र के मध्य अथवा किसी सेमेस्टर को पूरा करने के पश्चात् अगले सेमेस्टर में किसी अन्य कॉलेज से ट्रांसफर की अनुमति विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं होगी।
19. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दिया गया विवरण यदि अपूर्ण/असत्य पाया गया हो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
20. शासन/विश्वविद्यालय से यदि प्रवेश संबंधी किसी अन्य नियम की अथवा उपर्युक्त नियमों में संशोधन की सूचना मिलती है तो उसका पालन तदनुसार किया जाएगा।
21. बी०ए०/बी०कॉम०/बी०एस-सी० अथवा एम०ए०/एम०कॉम० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता (क्रमशः इंटरमीडिएट तथा स्नातक) के समकक्ष योग्यता के विषय में अधिक जानकारी हेतु प्रवेश समन्वयक अथवा कॉलेज कार्यालय से संपर्क करें।
22. संस्थागत छात्र उपाधि हेतु एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में शामिल होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में शामिल हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। शोध छात्रों पर भी यह नियम लागू होगा। उदाहरणार्थ बी०ए०, बी०एस-सी०, बी०कॉम०, बी०एड०, एम०कॉम०, एल-एल०बी० और डिप्लोमा (अभियंत्रण) तथा सर्टिफिकेट कोर्स जैसे बी०टी०सी०, एम०ए०, एम०एस-सी०, एम०कॉम०, एल-एल०बी०, एम०एड०, एम०एन०एफ०ई० की कक्षाओं में प्रवेश लिए हुए छात्र दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। नियम का उल्लंघन करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
23. प्रवेश के पूर्व ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरते समय प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन) जमा करना होगा अन्यथा उसका अस्थाई प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
24. इंटरमीडिएट परीक्षा में कम्पार्टमेंट/पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदक भी बी०ए०/बी०एस.सी./बी०कॉम० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन उनके आवेदन पर तभी विचार किया जा सकेगा जब वे अपना अधिकारिक परीक्षा परिणाम मैरिट सूची प्रकाशन से पूर्व कॉलेज कार्यालय में उपलब्ध करा देंगे।


* विशेष-

- * प्रत्येक विषय में सीटों की संख्या वि.वि. द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी। वि.वि. द्वारा सीटों की संख्या में वृद्धि/कमी की जा सकती है।
- * बी०ए०/बी० कॉम०/बी०एस.सी. प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर में विद्यार्थी वि०वि० द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुरूप ही विषयों को चयन कर सकेगा।
- * राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (NIOS) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए अर्ह हैं।
- * बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में अर्थशास्त्र विषय के साथ संगीत विषय को चयनित नहीं किया जा सकता है।



Rules for Admission (Session: 2018-19):


1. Admission shall be granted only on merit. Minimum 40% marks in intermediate or equivalent examination from Boards recognized by the University are required for admission in first semester of B.A./B.Com. (For example, 39.9% will not be considered as 40 %.) Minimum 45% marks are required in intermediate or equivalent examination for admission in first semester of B.Sc. For admission in undergraduate and postgraduate classes, the minimum marks/grade prescribed by the university will be valid. At the time of admission 5% relaxation shall be given only to SC and ST candidates.
2. Reservation in admission shall be given in accordance with the provisions issued by the Government from time to time.
3. Admission in first semester of B.Com to the students who have passed intermediate with any professional course shall be considered only on the basis of marks obtained in theory excluding marks obtained in practical.
4. A student already having appeared / passed in Master' degree in any subject shall not be granted admission under semester system in M.A./M.com with any other subject.
5. Admission shall not be granted in the same class or stream to the students who have failed in that class in earlier year. In that case only, a failed student or dropper from the university may be admitted as an ex-student in the examination. Dropper means that the student, *duly admitted*, has studied as a regular student during the entire session and has not appeared or has failed in that examination for any reason thereof.
6. A student can study as regular student for maximum of six years at graduate level and for maximum of four years at post graduate level. This period will include one year gap also.
7. Admission shall not be granted to a student having gap of more than two years after passing qualifying exam. As an evidence for the gap, it is mandatory to submit an affidavit attested by the competent court's notary, stating that during the gap, he has not studied as a regular student in any class or course anywhere. If the candidate has been admitted in any professional course after entrance examination organized by the university and he has appeared in examination too, that period shall not be considered as gap. Even then, that applicant shall also be required to pass the graduation in six years or post-graduation in four years.
8. Admission shall be granted till the seats remain vacant. The college will not be bound to grant admission till the scheduled last date for admission. The last date for admission in the first semester at graduation will be 23.7.2018.
9. Admission in desired subjects in first semester of B.A. will be subject to availability of seats in the subjects. If any applicant is included in the merit list for admission and the seats are not vacant in the desired subjects, the applicant will have to select other subjects in which seats are lying vacant.
10. After recommendation of Admission Committee, change in subject will not be permitted.
11. The candidate shall lose the right of admission if he/she does not turn up for counselling/interview on scheduled date / time or he/she fails to deposit fee on scheduled date. In that case, other candidates in the merit / waiting list may be granted admission on the merit basis.
12. The College shall have the right to deny admission or cancel the admission granted to an applicant without assigning any reason thereof.


13. Admission shall not be granted to the applicant who has been found using or attempting unfair means or misbehaving in any examination.
14. Applicant who has been a history-sheeter in police' records or has been convicted by a Court of Law for a crime committed by him/her or is an accused for committing a criminal offense shall not be granted admission.
15. Applicant who has been found guilty of indulging in acts of violence, misbehaviour with college staff or ragging shall not be granted admission. After admission, if a student is found guilty for aforesaid acts, his/her admission shall be cancelled.
16. Admission shall be granted only on the basis of the rules of College/ H.N.B. Garhwal Central University, Srinagar. If any admission is found against such rules, the college/university shall cancel that admission.
17. A student seeking admission in next semester of the same programme shall be granted admission on the basis of acquired credit in earlier semester(s) as per rules of the university.
18. No transfer in the mid of session or in any semester subsequent after completing any semester(s) from any other college shall be allowed without prior permission of the university.
19. If any information given in the application for admission is found incomplete / false / misleading, student' admission shall be treated as cancelled.
20. If the central/state government, the university or the college amends any admission' rule, it will be followed accordingly.
21. For more information regarding the minimum qualification required for admission in any semester of B.A. / B.Com. / B.Sc. / M.A. / M.Com. Admission Co-ordinator or the college office should be contacted.
22. A student admitted to a course/programme of the college is not permitted to get admission to any other educational institution or course / programme or to appear for any examination for the award of a Degree / Diploma / Certificate. If a student violates this rule and appears in the examination, his / her admission shall be cancelled. This rule also applies to registered research scholars pursuing for Ph.D. This means that no student shall be permitted to study and be examined for two Degrees /Diplomas / Certificates during a single academic session with the exceptions of "Add On Courses" recognized as such by the University and courses offered in the distance mode of learning by recognized Universities pending the completion of the course / programme or the conclusion of the academic session concerned.
23. It is required to submit Transfer Certificate at the time of first admission in the college. Students who have passed qualifying examination from any other university/board must submit a migration certificate at the time of submission of examination form online; otherwise, the provisional admission given to that student shall be treated as cancelled.
24. An applicant appearing for compartment / supplementary examination of 12th class can also register himself / herself for admission in B.A. / B.com./ B.Sc. first semester. However, his / her application shall be considered only if his / her final result is made available to the college office before the declaration of merit lists..















विशेष-

- आवेदन पत्र के अधूरे पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है और प्रवेशार्थी को प्रवेश अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
- आरंभ में महाविद्यालय द्वारा समस्त प्रवेश अस्थाई तौर पर किए जाएंगे जिन्हें बाद में विश्वविद्यालय द्वारा जांच के पश्चात् ही स्थाई किया जा सकेगा।
- महाविद्यालय परिसर में निर्धारित यूनीफार्म (पोशाक) में ही छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा-

कॉलेज यूनीफार्म

1. छात्राओं के लिए सफेद कुर्ता, सफेद सलवार तथा नीला राजस्थानी दुपट्टा अथवा सफेद शर्ट तथा काली पैंट एवं ब्लैक कलर की टाई
2. छात्रों के लिए सफेद शर्ट तथा काली पैंट, टाई (ब्लैक कलर) वैकल्पिक
3. सर्दियों में इस पोशाक पर डार्क ग्रे रंग का स्वेटर, कार्डिगन या ब्लेजर पहना जा सकता है।
4. नवविवाहित छात्राएं गुलाबी रंग का सूट सलवार पहन सकती हैं।
5. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2015-16 से स्नातक सेमेस्टर में सभी विषयों में प्रवेश (CBCS) प्रणाली पर आधारित हो रहे हैं।

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. प्रवेश में आरक्षण एवं अधिभार शासन द्वारा जारी प्रावधानों के अन्तर्गत दिया जायेगा।
2. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अंतिम तिथि जुलाई 23.07.2018 की होगी।
3. स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि 31-07-2018 अथवा वि.वि. द्वारा अंक तालिका निर्गत होने की तिथि से 20 दिनों के अंतर्गत मान्य होगा।
4. प्रवेश विवरणिका दिनांक 11.6.2018 से दिनांक 30.06.2018 तक स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु वितरित की जायेगी तथा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि 30.06.2018 होगी।
5. मैरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 11.07.2018 को कॉलेज नोटिस बोर्ड एवं कॉलेज वेबसाइट पर सायं 4 बजे तक कर दिया जायेगा। मैरिट सूची में आने वाले प्रवेशार्थी उनकी निर्धारित तिथि को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।
6. छात्रों को मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिए जायेंगे।
7. यद्यपि कॉलेज विवरणिका के प्रकाशन में यथासम्भव हर सावधानी का प्रयोग किया गया है फिर भी यदि कोई विसंगति/त्रुटि रह जाती है तो उसका समाधान कॉलेज कार्यालय से संपर्क करके किया जा सकता है।
8. आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित सर्टिफिकेट अनिवार्यतः आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करने होंगे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद ऐसे प्रकरणों पर विचार करना संभव नहीं होगा क्योंकि प्रवेश हेतु साक्षात्कार से पूर्व योग्यता-सूची का आकलन कर लिया गया होगा।
9. अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने की जो तिथि महाविद्यालय द्वारा दी जाती है, अभ्यर्थी निश्चित रूप से उस तिथि पर शुल्क जमा करा दें अन्यथा उन्हें प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।
10. सभी कक्षाओं का शुल्क विवरण सूचना पट्ट एवं कॉलेज की वेबसाइट www.smjn.org पर देखा जा सकता है।
11. महाविद्यालय प्रवेश सूचनाएँ सूचना पट्ट तथा कॉलेज की वेबसाइट www.smjn.org पर भी समय-समय पर देखी जा सकती है।
12. अपरिहार्य कारणों से प्रवेश तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिये महाविद्यालय का नोटिस बोर्ड देखते रहें।

प्रवेशार्थी विवरणिका



आवेदन पत्र विषयक निर्देश



आवेदन पत्र जमा करते समय अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी निम्नांकित बातों का पालन सुनिश्चित करें—

1. प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र का ही प्रयोग करें।
2. प्रपत्रों की समस्त प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा प्रमाण स्वरूप सभी आवश्यक परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपि, चरित्र प्रमाण पत्र व स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ व आरक्षण तथा अधिभार के लाभ हेतु प्रमाण पत्रों की स्वयं (Self Attested) सत्यापित प्रतिलिपियाँ अवश्य संलग्न करें। व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी/ लोकसभा/ विधानसभा/ विधान परिषद के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. समस्त प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियाँ/फोटोस्टेट/इलैक्ट्रोस्टेट कॉपी संबंधित संस्था के प्राचार्य अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। अभ्यर्थी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं यदि किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र, अंक तालिका/जाति प्रमाण पत्र आदि जाँच में फर्जी पाया जाता है तो अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा साथ ही ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत सजा का भागी होगा।
4. किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान में कार्यरत होने पर आवेदन पत्र उपयुक्त माध्यम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित होना चाहिए।
5. प्रवेश हेतु योग्यता सूची, तिथि आदि की सूचना कॉलेज सूचना पट्ट एवं कॉलेज बेव साईट (www.smjn.org) पर देखें।
6. प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वयं उपस्थित हों ताकि उसके छायाचित्र एवं प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जा सकें। प्रवेश समिति की संस्तुति व प्राचार्य से प्रवेश की अनुमति मिलने पर कॉलेज कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करके शुल्क जमा कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करें तथा निर्धारित बैंक में निर्धारित तिथि पर निश्चित समय में शुल्क जमा करें।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों के लिए आवश्यक है कि वांछित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उनके मूल निवास स्थान या वर्तमान निवास स्थान के शासकीय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। इस संदर्भ में अन्य कोई प्रमाण-पत्र कॉलेज द्वारा मान्य नहीं होगा। उपयुक्त/वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में छात्र की सामान्य श्रेणी ही मानी जाएगी।
8. विकलांग प्रवेशार्थियों को जिला मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा उसकी एक सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ या अधिभार (एन०सी०सी०, स्काउटिंग, खेलकूद, एन०एस०एस०, वि०वि० कर्मचारियों के वार्ड आदि संबंधी) चाहने पर प्रवेशार्थी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर सही का चिह्न (✓) अवश्य लगाएँ तथा इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें अन्यथा उन्हें उक्त लाभ/अधिभार नहीं मिल सकेगा।

आवश्यक निर्देश—

- प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी परिचय पत्र हेतु पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाएं।
- शुल्क जमा होने के पश्चात् ही सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश अन्तिम एवं मान्य होगा
- शुल्क जमा कराने के बाद वे रसीद दिखाकर अपना परिचय पत्र प्रवेश के समय कार्यालय से प्राप्त करें।
- प्रवेशार्थियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना परिचय पत्र दिखाकर पुस्तकालय रीडर्स टिकट प्रवेश के समय ही प्राप्त कर लें।
- आवश्यक प्रमाण पत्रों के अभाव में या किसी अन्य प्रकार से अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परिचय पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उचित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रवेश के एक सप्ताह के अन्दर हस्ताक्षरित करा लें।



❀ रेगिंग के संबंध में प्रावधान ❀

विश्वविद्यालय ने रेगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु यू.जी.सी. के नियम अपने परिसर में तथा समस्त महाविद्यालयों में रेगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों मार्च 2009 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं. 310/04/एस.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी, तथा 17 मार्च, 2009 को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं—

1. रेगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है :

Any disorderly conduct whether by words spoken or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause embarrassment, annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of casing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging

रेगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्ड

संस्था की रेगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रेगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये गये दण्ड निम्न में से कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है—

- ★ प्रवेश निरस्त किया जाना
- ★ कक्षा से निलम्बन
- ★ छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना
- ★ किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना
- ★ परीक्षा परिणाम रोकना
- ★ किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
- ★ छात्रावास से निष्कासन
- ★ निरस्तीकरण
- ★ संस्था से एक से चार सेमेस्टर अवधि हेतु निष्कासन
- ★ संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना
- ★ ₹25 हजार का जुर्माना
- ★ जब रेगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रेगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

नोट: निम्न दोनों शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में टाइप करवाकर नोटेरी / ओथ कमिश्नर द्वारा प्रमाणित करवा के प्रवेश के समय उपलब्ध करायें।

रेगिंग निषेध शपथ पत्र का प्रारूप (केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती ने रेगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भाँति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रेगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ।
4. मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी, उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूँगा/करूँगी। मैं किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूँगा/करूँगी अथवा कोई अन्य किसी को क्षति नहीं पहुँचाऊँगा/पहुँचाऊँगी।

हस्ताक्षर दिन माह वर्ष

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

माता/पिता/अभिभावक द्वारा रेगिंग निषेध शपथ पत्र का प्रारूप

मैं पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती ने रेगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भाँति पढ़ लिया है तथा पूर्णतः समझ लिया है। मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/संरक्षित रेगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।

मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि उसे रेगिंग में लिप्त पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरुद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाय।

हस्ताक्षर दिन माह वर्ष

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर



शुल्क विवरण

शुल्क शासन/विश्वविद्यालय शुल्क निर्धारण समिति के नियमानुसार देय होगा। छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जाएगी। तदुपरांत यह निरस्त समझी जाएगी।

शासन/विश्वविद्यालय से यदि शुल्क संबंधी संशोधन की सूचना मिलती है तो उसका परिपालन तदनुसार किया जाएगा। यदि सत्र में प्रवेश के उपरांत शासन द्वारा शुल्क वृद्धि के निर्देश प्राप्त होते हैं तो भी विद्यार्थी द्वारा बढ़ा हुआ शुल्क देय होगा। शासनादेश सं० 50/उच्च शिक्षा/2003 के अनुरूप महाविद्यालय स्तर पर बालिकाओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है।

पहचान पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र को नियन्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र को जारी पहचान पत्र को ही उसके विश्वविद्यालय का छात्र होने का एकमात्र प्रमाण माना जायेगा। नियन्ता मण्डल के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिकृत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी। पहचान पत्र खो जाने की सूचना नियन्ता कार्यालय को देना होगा तथा नियन्ता कार्यालय से इस आशय का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए तथा निर्धारित शुल्क जमा करवा कर प्रतिलिपि पहचान पत्र कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

मांग करने पर छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र नियन्ता कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर नौकरी के लिए आवेदन करते समय छात्रों से समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। नियन्ता द्वारा अधिकृत रूप से जारी चरित्र प्रमाण पत्र को सामान्यतः छात्र/छात्रा का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। लिखित आवेदन करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्रों को जितनी बार आवश्यकता हो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रेगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदुपरांत जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है। प्रकोष्ठ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित करता है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय द्वारा महिला छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है।



शोध

विश्वविद्यालय में शोध उपाधि पी०एच०-डी० हेतु अपेक्षित अर्हताएँ अग्रलिखित हैं- (1) शोध कार्य सर्वथा मौलिक हो, (2) नवीन तथ्यों की खोज की गई हो, (3) अज्ञात अथवा अल्प ज्ञात तथ्यों का उद्घाटन और उसके महत्व का दिग्दर्शन, (4) तथ्यों या सिद्धान्तों की नवीन व्याख्या, (5) अनुसंधाता की विवेचनानात्मक प्रतिभा तथा निर्णय-क्षमता भी उसके शोध कार्य में व्यक्त हो और उसका प्रतिपादन प्रभावशाली व शोध-प्रबंध की गरिमा के अनुरूप हो ताकि उसे यथावत् प्रकाशित किया जा सके। शोध-कार्य करने में इच्छुक छात्र/छात्राओं को हे.न.ब. गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की प्री-पी.एच.-डी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके पश्चात् प्री.पी.एच.डी. (शोध पूर्व पाठ्यक्रम) पूरा करने के पश्चात् वे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शोध निर्देशक के निर्देशन में अपना शोध सम्पन्न कर सकेंगे। शोध कार्य पूर्ण कालिक होगा और शोधार्थी को विभागीय शिक्षण कार्यों में सहयोग भी अपेक्षित है।

शोध-समिति की बैठक में विषय के पंजीकृत होने पर उसकी सूचना शोध छात्र/छात्रा के पास विश्वविद्यालय द्वारा भेजी जाती है। सामान्यतः पंजीकरण की तिथि के उपरांत चार वर्ष की अवधि में शोध छात्र को अपना प्रबंध पूर्ण करना होगा। अनुसंधान कार्य की प्रगति के संबंध में भी शोध छात्र को अपनी आख्या निर्देशक महोदय के माध्यम से प्रत्येक छह माह पश्चात् प्रेषित करना होगा, अन्यथा उसका पंजीकरण विश्वविद्यालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। आवश्यक उपस्थिति पूरी करने के पश्चात् ही शोध छात्र/छात्रा अपना शोध प्रबंध (निर्धारित प्रतियों में) परीक्षणार्थ विश्वविद्यालय में जमा करा सकेगा/सकेंगे। शोध प्रबंध को जमा कराने की अवधि चार वर्ष है जिसे विशेष परिस्थितियों में कुलपति के अनुमोदन पर एक वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है। शोध के लिए इच्छुक छात्र-छात्राएँ विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विषय के शोध निर्देशकों से संपर्क करें।

शोध कार्य में पंजीकरण हेतु हे.न.ब. गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नियमों को लागू किया जायेगा।

शोध केन्द्रों एवं शोध निर्देशकों की सूची

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. अंग्रेजी | डॉ० (श्रीमती) नलिनी जैन |
| 2. समाजशास्त्र | डॉ० जगदीश चन्द्र आर्य |
| | डॉ० सुषमा नयाल |
| 3. अर्थशास्त्र | डॉ० नरेश कुमार गर्ग |
| 4. वाणिज्य संकाय | डॉ० सुनील कुमार बत्रा, |
| | डॉ० मनमोहन गुप्ता |
| | डॉ० तेजवीर सिंह तोमर। |

कॉलेज पत्रिका

योग्य मार्गदर्शन एवं समुचित नेतृत्व के अभाव में छात्र-छात्राओं की प्रतिभा एवं कार्यशक्ति उच्च स्तरीय अध्ययन और जीवनगत पूर्णता के क्रमशः विकास की सृजनात्मक प्रवृत्ति से हटाकर आए दिन विध्वंससात्मक एवं अवांछनीय दिशाओं की ओर उन्मुख कर दी जाती है किंतु यदि उन्हें उच्चाकांक्षापूर्ण जीवन की समुचित प्रेरणा, सही दिशा एवं तदनुसूत शिक्षा प्रदान की जाए तो ज्ञान साधना के क्षेत्र में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्र के भावी निर्माण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में नियोजित किया जा सकता है। कॉलेज पत्रिका का प्रकाशन उक्त दिशा में किया जाने वाला एक स्तुत्य प्रयास है। इससे कॉलेज की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं की संभव जानकारी तो मिलती ही है इसके अतिरिक्त महाविद्यालय परिवेश में साहित्यिक अभिरूचि में सम्यक् विकास, सुप्त प्रतिभाओं के जागरण व प्रोत्साहन के साथ साहित्यिक चेतना का भी निर्माण संभव होता है। कॉलेज पत्रिका 'अभिव्यक्ति' का वार्षिक प्रकाशन इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। वस्तुतः कॉलेज पत्रिका 'अभिव्यक्ति' छात्रों की रचना की एक प्रयोगशाला भी है। संस्था में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इससे लाभान्वित होकर अपनी रचनात्मक क्षमता व सृजन शक्ति को विकसित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए छात्र-छात्राएँ पत्रिका के प्रधान सम्पादक से सम्पर्क करें।



राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित समाज सेवा का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना को जाग्रत करना और उन्हें निम्नांकित अवसर उपलब्ध कराना है—

1. लोगों के साथ मिलकर कार्य करना।
2. स्वयं को सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त करना।
3. स्वयं तथा समुदाय की ज्ञान वृद्धि करना।
4. समस्याओं को कुछ न कुछ हल करने में स्वयं की प्रतिभा का व्यावहारिक उपयोग करना।
5. प्रजातांत्रिक नेतृत्व में क्रियान्वित करने में दक्षता प्राप्त करना।
6. स्वयं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए कार्यक्रम विकास में दक्षता प्राप्त करना।
7. शिक्षित और अशिक्षितों के बीच की दूरी को मिटाना।
8. समुदाय के कमजोर वर्ग की सेवा के लिए स्वयं में इच्छाएँ जाग्रत करना।

यह योजना देश के कुछ वि०वि० में गाँधी शताब्दी वर्ष में आरंभ हो गई थी। वर्तमान में यह योजना सभी विश्वविद्यालयों में लागू है। इस योजना में स्नातक स्तर पर केवल प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्नातक स्तर पर दो वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 120 घंटे की सामाजिक सेवा कार्य करने के साथ दो विशेष सात रात्रि दिवसीय शिविर में भाग लेना होता है। इसके अंतर्गत विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 'बी' व 'सी' प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। एन०एस०एस० प्रमाण पत्र के आधार पर एम०ए०/एल०एल०बी०/बी०एड० इत्यादि कक्षाओं में प्रवेश हेतु अधिभार मिलता है। इच्छुक छात्र-छात्राएँ अधिक जानकारी के लिए कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

छात्र कल्याण

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन के लिए और उनकी महाविद्यालय संबंधी सामान्य समस्याओं के निराकरण करने के लिए प्रतिवर्ष एक छात्र-कल्याण परिषद् का गठन किया जाता है। इस समिति के तत्वावधान में ही महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं व विचार गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा, खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तथा साथ ही संगठनात्मक क्षमता भी रखते हैं उन्हें उक्त परिषद् में अधिष्ठाता (डीन), छात्र-कल्याण द्वारा नामित किया जाता है। यह परिषद् विद्यार्थियों एवं प्रशासन के मध्य एक सेतु का भी कार्य करती है और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को एक स्वस्थ नेतृत्व भी प्रदान करती है।

प्रतिभा संपन्न छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार तथा दुर्बल आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ तथा बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध कराने की संस्तुति भी यह समिति करती है। महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को शासन नियमों के अंतर्गत/पूर्ण/अर्द्ध शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति व अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार छात्र-छात्राओं को उनकी प्रतिभा, दक्षता व आवश्यकता के अनुसार सर्वविध सहायता प्रदान कराने के लिए एक छात्र कल्याण परिषद् समिति तत्पर रहती है। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन हेतु छात्र-छात्राएँ छात्र कल्याण के अधिष्ठाता (डीन) से सतत् संपर्क बनाए रख सकते हैं।



❀ अनुशासन-समिति ❀

अनुशासन चरित्र निर्माण का अनुषांगिक तत्व है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में उन्हें अनुशासित रखने के दायित्व का सम्यक् निर्वाह अनुशासन समिति करती है। छात्र-छात्राओं के सहयोग से कॉलेज में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत चीफ प्रीफैक्ट, डिप्टी चीफ प्रीफैक्ट तथा प्रीफैक्ट के दायित्वों को छात्र-छात्राएँ संभालते हैं तथा वे स्वयं अनुशासित रहकर कॉलेज में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में अपना सक्रिय सहयोग देते हैं। अनुशासन व्यवस्था की दृष्टि से सभी विद्यार्थियों को कॉलेज प्रशासन की ओर से परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। जिस पर छात्र यथास्थान वांछित विवरण स्वयं अंकित करेगा और उस पर अपना पासपोर्ट साइज का चित्र लगाकर मुख्य अनुशासन अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित तथा प्राचार्य से उस पर हस्ताक्षर कराने के पश्चात् कॉलेज में सदैव अपने पास रखेगा तथा अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दिखाएगा। इस समिति में कार्य करने के इच्छुक छात्र मुख्य अनुशासन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

❀ उपस्थिति नियम ❀

(सत्र 2018-2019)

विश्वविद्यालय नियमों एवं आदेशों के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में पृथक-पृथक 75 प्रतिशत पूरी नहीं करता। विज्ञान के विषयों अथवा ऐसे अन्य विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक कक्षाएँ होती हैं, प्रयोगात्मक कक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्य की अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगी।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में, व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक-पृथक 6 प्रतिशत तक छूट संकायाध्यक्ष (डीन)/प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिन के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर लिया हो। या
(ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।
2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिये किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिये कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूनता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिये विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के जहाँ विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थित, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थित न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।



❀ खेलकूद ❀

महाविद्यालय में एथेलेटेक्स, योग, बैडमिंटन, वॉलीबाल, क्रिकेट, शतरंज, कैरम आदि खेलों की व्यवस्था है एवं प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक खेलों में भाग लेने के लिए महाविद्यालय की टीम भेजी जाती है। महाविद्यालय से प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिससे कि विद्यार्थी अपनी शारीरिक क्षमता व खेलकूद संबंधी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। विभिन्न प्रकार के खेलकूदों में नियमित रूप से भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को खेलकूद अधीक्षक से निरंतर संपर्क रखना चाहिए। उच्च कक्षाओं में प्रवेश तथा नियुक्तियों में खेलकूद प्रमाण पत्र धारकों को नियमानुसार वरीयता/अधिमान प्रदान किए जाते हैं।

❀ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ ❀

महाविद्यालय परिसर में संस्थागत छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण करके उन्हें स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी परामर्श की व्यवस्था है तथा समय-समय पर छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिविर की भी व्यवस्था है।

❀ पुस्तकालय ❀

छात्र समुचित ज्ञानार्जन कर सके इसके लिए कॉलेज में समृद्ध पुस्तकालय की सुंदर व्यवस्था है जिसमें सभी विषयों की पर्याप्त संख्या में पुस्तकें हैं। सभी नियमित छात्र पुस्तकें प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। पुस्तकें प्राप्त करने के लिए छात्रों को 'रीडर्स टिकट' पुस्तकालय से लेने होंगे। पुस्तकालय में प्रवेश के लिए परिचय पत्र दिखाना आवश्यक होगा।

पुस्तकालय से सामान्यतः 14 दिन के लिए पुस्तकें प्रदान की जाती हैं परंतु कुछ पुस्तकें मात्र 1 दिन के लिए ही दी जाएंगी। देर से पुस्तकें लौटाने पर 50 पैसा प्रतिदिन व 1 रुपया प्रतिदिन (विशेष पुस्तक पर) विलंब अर्थदंड देना होगा।

परीक्षा प्रारंभ होने के 10 दिन पूर्व तक पुस्तकालय की सभी पुस्तकें आवश्यक रूप से लौटानी होंगी। पुस्तकें न लौटा पाने की स्थिति में छात्रों का परीक्षा प्रवेश पत्र रोक दिया जाएगा।

वाचनालय- अद्यतन सूचनाओं की जानकारी छात्रों को हो सके तथा ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी दक्षता सिद्ध कर सकें, इसके लिए पुस्तकालय में बहुत सी समसामयिक पत्रिकाएँ तथा दैनिक पत्र मंगाए जाते हैं जिन्हें छात्रों को वाचनालय में बैठकर ही पढ़ना होगा। पत्र-पत्रिकाएँ सामान्यतः घर के लिए नहीं दी जाती हैं।

विशेष- उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दंडनीय अपराध घोषित किया जा चुका है तदनुसार कॉलेज परिसर में रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना मुख्य अपराध की श्रेणी में आता है। सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का निवर्हन करते हुए संस्था में अनुशासन तथा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। अनुशासनहीनता के आरोप में किसी भी छात्र-छात्रा को बिना कारण बताए कॉलेज से निष्कासित अथवा उसे प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

कॉलेज प्रांगण में मोबाईल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। नियम का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड के अतिरिक्त मोबाईल फोन जब्त कर लिया जाएगा।

कोई शिकायत अथवा समस्या होने पर विद्यार्थी कॉलेज में कार्य कर रहे Women Cell/Ragging Control Board और Grievance Redressal Cell के प्रभारियों से तत्काल संपर्क कर सकते हैं।

- ★ प्रवेश आवेदन पत्र अहस्तांरणीय है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 30.06.2018 है।
- ★ प्रत्येक संकाय/विषय हेतु पृथक्-पृथक् आवेदन पत्र भरना आवश्यक है।
- ★ प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के आधार पर पूर्ण की जायेगी।
- ★ प्रवेश समिति की संस्तुति प्रवेश हेतु अपरिहार्य है।
- ★ प्रवेश संस्तुति होने के उपरांत अविलम्ब शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि को शुल्क जमा न होने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- ★ महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक विद्यार्थी को नियंता द्वारा प्रमाणित सत्र 2018-19 का परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- ★ महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 7 बजे से पूर्व तथा सायं 4 बजे के पश्चात् प्रवेश वर्जित है।
- ★ महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। किसी भी विद्यार्थी के पास मोबाइल फोन पकड़े जाने पर फोन जब्त किया जा सकता है तथा इसकी पुनरावृत्ति होने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
- ★ छात्र-छात्राएं महाविद्यालय के मुख्य गेट के सामने व आस-पास वाहन खड़ा न करें। वाहन पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान का ही प्रयोग करें।
- ★ महाविद्यालय देवी सरस्वती का प्रांगण है। अतः इसकी स्वच्छता बनाये रखना सभी का नैतिक कर्तव्य है। धूम्रपान, पान एवं गुटखा आदि का सेवन कॉलेज प्रांगण में करना वर्जित है।
- ★ पोस्टर व बैनर का प्रयोग महाविद्यालय की चारदीवारी व प्रांगण में पूर्णतया वर्जित है।
- ★ महाविद्यालय परिसर में शैक्षिक गुणवत्ता बनाने एवं महाविद्यालय परिसर में बाहरी आवेष्टित तत्त्वों पर प्रभावी रोकथाम हेतु सी.सी. टीवी कैमरों के द्वारा सतत् निगरानी रखी जाती है।

महाविद्यालय कैम्पस वाई-फाई (WiFi) सुविधा से आच्छादित है।

प्रवेश हेतु साक्षात्कार समितियां

बी.ए. एवं बी.कॉम. तथा बी.एस-सी. में सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु साक्षात्कार समितियों का निम्नवत् गठन किया गया है।

बी.ए. प्रथम सेमेस्टर (CBCS) के अनुसार	डॉ. सरस्वती पाठक डॉ. संजय माहेश्वरी डॉ. जे.सी.आर्य	संयोजक सदस्य सदस्य	साक्षात्कार परीक्षाकक्ष में
बी.ए. तृतीय सेमेस्टर	डॉ. नलिनी जैन डॉ. सुषमा नयाल	संयोजक सदस्य	
बी.ए. (पंचम सेमेस्टर)	डॉ. नलिनी जैन डॉ. जे.सी.आर्य	संयोजक सदस्य	
बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर (CBCS) के अनुसार	डॉ. मनमोहन गुप्ता डॉ. टी.एस. तोमर	संयोजक सदस्य	साक्षात्कार वाणिज्य कक्ष में
बी.कॉम. तृतीय सेमेस्टर बी.कॉम. पंचम सेमेस्टर	डॉ. टी.एस. तोमर डॉ. एम.एम. गुप्ता	संयोजक संयोजक	
बी.एस.सी. प्रथम/तृतीय सेमेस्टर (CBCS) के अनुसार	श्री विनय थपलियाल	संयोजक	साक्षात्कार राजशास्त्र कक्ष में
बी.एस.सी. पंचम सेमेस्टर) एम.कॉम प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	श्री विनय थपलियाल डॉ. मनमोहन गुप्ता डॉ. तेजवीर सिंह	संयोजक संयोजक सदस्य	

एम.ए. सेमेस्टर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु साक्षात्कार तथा प्रवेश हेतु संस्तुति सभी विषयों के विभागाध्यक्षों द्वारा पृथक् रूप से की जायेंगी।

नोट- वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय हेतु गठित प्रवेश समितियां अपना कार्य प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तथा कला संकाय हेतु गठित प्रवेश समिति अपना कार्य प्रातः 9.30 बजे से अपराह्न 2 बजे के मध्य सम्पन्न करेंगी।

डॉ. सुनील कुमार बत्रा
प्राचार्य

डॉ. संजय कुमार माहेश्वरी
मुख्य प्रवेश समन्वयक, 2018-19



छात्रों को मिलेगी रोजगार की ट्रेनिंग



एमओयू

- एमओयू ने कालेज के छात्रों को रोजगार पाने में नई राहें खोजी
- एसोसिएशन का अब तक 27 कॉलेजों से हो चुका है सम्पर्क

हरिद्वार। हवाई संवाददाता

एसएमजेएन पीजी कालेज और सिडकुल मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन के बीच मंगलवार को एमओयू साइन किया गया। एमओयू कालेज प्रबंध समिति के सचिव महंत रविंद्र पुरी और सिडकुल एसोसिएशन के चेयरमैन हरिंद गर्ग तथा जन्मल सेकेटो राज अरोड़ा ने किया।

गोप की सुविधा मिलेगी। हरिंद गर्ग ने कहा कि कालेज में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ जो सिडकुल में रोजगार पाने के इच्छुक हैं उनके बीच सम्पर्क जन्मल स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने अब तक 27 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के साथ इस तरह का सम्पर्क किया है।

प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार बत्रा ने कहा कि सम्पर्क-समय पर कालेज में



हरिद्वार में मंगलवार को एसएमजेएन पीजी कॉलेज और सिडकुल मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन के बीच करार हुआ।



हरिद्वार के एसएमजेएन पीजी कॉलेज में गुरुवार को मतदान के लिए शायद तैयार शिक्षक और छात्र-छात्राएँ।

वोट डालने चलो रे साथी.. का नारा दिया

जागरूकता

आयोजन

- एसएमजेएन कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
- विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए किया जागरूक

हरिद्वार। हवाई संवाददाता

एसएमजेएन पीजी कॉलेज में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में नए मतदान बने छात्र-छात्राओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूक किया गया।

कहा कि खासकर युवाओं को एक अच्छी सरकार चुनने के लिए मतदान को गंभीरता से लेना होगा। युवाओं को देश के पवित्र नियमों से परिचित कराना और देश और क्षेत्र का विकास सपना है। इस दौरान डॉ. जगदीशचंद्र आर्य, विरमपाल सिंह चौहान, मोहनचंद्र पांडेय, अंकित आर्याखन, राजकुमार, चिनीत सम्भन, पुनीत शर्मा, जगदीश कोर, रॉहित जोशी, संजय कुमार, सतेंद्र कुमार, सुधाचंद्र, अनजय कुमार आदि

चलते युवाओं को रोजगार पाने में सहायता हो जाएगी। डॉ. एनके. गर्ग, डॉ. शर्बनकाल और एके जगत ने एमओयू

पीजी कालेज के प्राचार्य सुनील बत्रा बने शासी निकाय परिषद के सदस्य

हरिद्वार (विद्यार्थी)। एसएमजेएन पीजी कॉलेज हरिद्वार के प्राचार्य डॉ. सुनील बत्रा को पीछल ललित मोहन शर्मा स्वायत्तशासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रोब्लेम में सम्मिलित हुए गवर्निंग बॉडी की 13वीं बैठक में शासी निकाय शिक्षा परिषद (एकेडमिक काउंसिल) का सदस्य मनोनित किया गया है। यह जानकारी डॉ. एनपी मोहेश्वरी प्राचार्य एवं सदस्य सचिव गवर्निंग बॉडी, पीछल ललित मोहन शर्मा स्वायत्तशासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने देते हुए बताया कि यह महाविद्यालय उत्तराखण्ड का एकमात्र स्वायत्तशासी महाविद्यालय है। डॉ. सुनील कुमार बत्रा के मनोनयन से



डॉ. सुनील कुमार बत्रा के मनोनयन से



शिक्षित बनो, संगठित रहो : कौशिक

शिक्षकों को सातवें वेतनमान का शीघ्र लाभ दिलाने का शहरी विकास मंत्री ने दिया भरोसा

शहरी विकास मंत्री, हरित गण्डकी प्रदेश, विजय शर्मा ने शहरी शिक्षकों के वेतनमान को सातवें वेतनमान पर आगे बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सातवें वेतनमान का शीघ्र लाभ दिलाने का शहरी विकास मंत्री ने दिया भरोसा। शिक्षकों को सातवें वेतनमान का शीघ्र लाभ दिलाने का शहरी विकास मंत्री ने दिया भरोसा। शिक्षकों को सातवें वेतनमान का शीघ्र लाभ दिलाने का शहरी विकास मंत्री ने दिया भरोसा।

भाषण प्रतियोगिता में संतोष ने मारी बाजी

हरिद्वार। हवाई संवाददाता

एसएमजेएन पीजी कालेज में अक्षर और निजक का अधिकांश विजय पर भाषण प्रतियोगिता में कौर शतम संस्मर को छात्र संतोष प्रथम रही। कौरसमी शतम संस्मर को प्रथम स्थान पर और कौरसमी द्वितीय संस्मर को द्वितीय स्थान पर देते। मनु काजल, रोहन, सुनिता, नैनेन, पारल, अक्षित, सुरेश, दिव्य को सातवां स्थान पर प्राप्त किया। प्राचार्य डॉ. एनके बत्रा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते

हुए कहा कि शतचार दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का दैनिक सहचर पर अक्षर कवर्ड होने आवश्यक है। डॉ. संजय मोहेश्वरी, डॉ. सतार शर्मा और डॉ. रिकू अलानी ने छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।

